न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023
कोर्ट केम्प:– ग्राम पंचायत उण्डखा
राजस्व आवेदन संख्या :– 223....../2023

प्रार्थी
1 शंकराराम जाति मेघवाल निवासी उण्डखा
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थी
1 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

आदेश

क्रमांक/राजस्व/122
26/5/23

दिनांक 26/05/2023

संक्षिप्त में प्रार्थी शंकराराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रायमलोणियों की ढाणी पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 764/483 रकबा 0.3399 हैक्टेयर की तरमीम लट्ठा ट्रेस में सही हुई थी, जबकि तहसीलदार बाडमेर द्वारा ऑनलाईन कार्य करते समय खसरा संख्या 764/483 की तरमीम गलत दर्ज हो गई, गये जिसे दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर ने पत्रांक शिविर/2023/13 दिनांक 01.05.2023 द्वारा ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन की मौका रिपोर्ट में अवगत करवाया कि मौजा रायमलोणियों की ढाणी के खसरा संख्या 766/483 में हुई रास्ते की तरमीम खसरा संख्या 764/483 को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है जिसकी जांच वर्तमान ऑनलाईन नक्शा व लट्ठा ट्रेस से की गई। ग्राम रायमलोणियों की ढाणी के खसरा संख्या 764/483 रकबा 0.3399 हैक्टेयर की तरमीम लट्ठा ट्रेस से संलग्न परिशिष्ठ 'ए' के अनुसार सही अंकित जबकि रेकर्ड ऑनलाईन करने के दौरान कॉपी करते वक्त लिपिकीय त्रुटी से उक्त खसरा संख्या 764/483 की तरमीम संलग्न परिशिष्ठ 'बी' अनुसार गलत अंकित हो गई। अतः ग्राम रायमलोणियों की ढाणी के खसरा संख्या 764/483 रकबा 0.3399 हैक्टेयर की तरमीम लट्ठा ट्रेस में अंकितानुसार परिशिष्ठ 'ए' के अनुरूप दुरूस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार बाडमेर को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा रायमलोणियों की ढाणी पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 764/483 रकबा 0.3399 हैक्टेयर की तरमीम लट्ठा ट्रेस में सही हुई थी, जबकि तहसीलदार बाडमेर द्वारा ऑनलाईन कार्य करते समय खसरा संख्या 764/483 की तरमीम गलत दर्ज हो गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम रायमलोणियों की ढाणी के खसरा संख्या 764/483 रकबा 0.3399 हैक्टेयर की तरमीम लट्ठा ट्रेस से संलग्न परिशिष्ठ 'ए' के अनुसार सही अंकित जबकि रेकर्ड ऑनलाईन करने के दौरान कॉपी करते वक्त लिपिकीय त्रुटी से उक्त खसरा संख्या 764/483 की तरमीम संलग्न परिशिष्ठ 'बी' अनुसार गलत अंकित हो गई। लिहाजा ग्राम रायमलोणियों की ढाणी के खसरा संख्या 764/483 रकबा 0.3399 हैक्टेयर की तरमीम लट्ठा ट्रेस में अंकितानुसार परिशिष्ठ 'ए' अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम रायमलोणियों की ढाणी के खसरा संख्या 764/483 रकबा 0.3399 हैक्टेयर की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ 'ए' अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 19/5/23 को मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर